न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	किशनलाल बनाम RJ सरकार मु.नं.– 05/23 किस्म –
19.02.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.3.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	17.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा - तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा तस्दीक नामा: सं. 621 आदेश दिनांक 20.02.2019 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2023	31.10.2023	17.03.2026

बउनवान

किशनलाल पुत्र परसादी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री खेमसिंह गुर्जर।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 621 दिनांक 20.02.2019 द्वारा
ग्राम पंचायत जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा अन्तर्गत
धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलान्ट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजीयात ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के खसरा सं. 500, 501, 502, 76, 772/1188, 774, 775, 812, 813 कुल किता 09, कुल रकबा 3.74 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजीयात के अपीलान्ट के साथ अन्य सहखातेदारान भी है जो अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। अपीलान्ट के पिता का देहांत होने पर ग्राम पंचायत जटवाडा, पंचायत समिति महवा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दिनांक 20.02.2019 को खोला गया जिसमें अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज करने के कारण उससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत जटवाडा ने दिनांक 20.02.2019 को, जो विरासत का नामान्तकरण खोला था, उसमें अपीलान्ट का नाम गांव वालों से पूछ कर तथा अपीलान्ट से बिना पूछे ही श्री किशन के नाम से खोल दिया जो कि गलत है जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम किशनलाल पुत्र परसादी है। अपीलान्ट का वास्तविक नाम किशनलाल पुत्र परसादी अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे परिवार कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता सूची, बैंक पास बुक आदि समस्त दस्तावेजों में किशनलाल पुत्र परसादी ही अंकित है लेकिन ग्राम पंचायत जटवाडा ने विरासत का नामान्तकरण दिनांक 20.02.2019 को खोलते समय सहवन से श्री किशन पुत्र परसादी के नाम से बिना अपीलाण्ट के पूछे खोल दिया जो गलत है तथा ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, केवल साक्षर है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हो सकी। अब पटवारी हल्का द्वारा जानकारी मिली कि वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित जमाबंदी के खाते में अपीलान्ट का नाम श्री किशन पुत्र परसादी दर्ज हो रहा है। अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मण्डावर के यहां पेश किया कि अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में किशनलाल पुत्र परसादी के बजाय श्री किशन पुत्र परसादी हो रहा है जिसे दुरूस्त फरमाया जावे किन्तु तहसीलदार मण्डावर ने अपीलान्ट का नाम दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे अपना नाम सही करवा कर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही करने के लिये प्रस्तुत करना लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जटवाडा का आदेश दिनांक 20.02.2021 नामान्तरकरण सं. 621 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम श्री किशन पुत्र परसादी के स्थान पर किशनलाल पुत्र परसादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में, तहसीलदार मण्डावर संलग्न पटवारी मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 के अनुसार, ग्राम जटवाडा के आराजी खसरा सं. 500, 501, 502, कुल किता 03, कुल रकबा 1.26 हैक्टे. व खसरा सं. 76, 772/1188, 774, 775, 812, 813, कुल किता 06, कुल रकबा 2.48 हैक्टे. अपीलान्ट की सहखातेदारी की आराजी है। अपीलान्ट का ग्राम जटवाडा में नामांतरकरण सं. 621 दिनांक 20.02.2019 को श्रीकिशन पुत्र परसादी के नाम स्वीकार हुआ है। अपीलान्ट का सही नाम किशनलाल पुत्र परसादी है एवं श्रीकिशन पुत्र परसादी एवं किशनलाल पुत्र परसादी दोनों एक ही व्यक्ति है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 621 आदेश दिनांक 20.02.2019 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 621 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा परसादी के फौत होने पर उसके वारिसान हरबाई, श्रीकिशन, श्यामलाल, भागचन्द, रामस्वरूप के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम जटवाडा के आराजी खसरा सं. 500, 501, 502, 76, 772/1188, 774, 775, 812, 813 भूमि अपीलान्ट व सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड में किशनलाल पुत्र परसादी दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 621 आदेश दिनांक 20.02.2019 में परसादी की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 621 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी श्रीकिशन पुत्र परसादी की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 621 आदेश दिनांक 20.02.2019 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी श्रीकिशन पुत्र परसादी की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

साथ तहसीलदार मण्डावर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर उक्त नामान्तरकरण सं. 621 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी श्रीकिशन पुत्र परसादी के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)